डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद

प्रेस विज्ञप्ति (निःशुल्क प्रकाशनार्थ) दिनांक 25.01.2018

महाविद्यालय विकास परिषद की प्रथम बैठक सम्पन्न : लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

कुलपति प्रो0 मनोज दीक्षित की अध्यक्षता में आज पूर्वान्ह 11:30 बजे कौटिल्य प्रशासनिक भवन के सभागार में ''महाविद्यालय विकास परिषद'' (सी0डी0सी0) की प्रथम बैठक सम्पन्न हुई। लगभग ढाई घंटे तक चली बैठक में 14 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा के उपरांत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

सी0डी0सी0 की बैठक में विश्वविद्यालय से सम्बद्व समस्त महाविद्यालयों में संचालित पाठयक्रमों मे प्रवेश हेतु सीटों के निर्धारण की कार्ययोजना पर विस्तृत विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि सत्र 2018–19 से प्रवेश के लिए उपलब्ध सीटों का सम्पूर्ण ब्यौरा आन–लाइन किया जाएगा तथा निर्धारित सीटों से अधिक पर आन–लाइन प्रक्रिया के माध्यम से रोक लगाई जाएगी। सीटों के निर्धारण के लिए सी0डी0सी0 ने एक उपसमिति का गठन भी किया है जो माह अप्रैल 2018 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

इसी क्रम में सम्बद्व महाविद्यालयों सहित विश्वविद्यालय के प्रत्येक पाठयक्रम में प्रवेश हेतु रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आन–लाइन किए जाने का भी निर्णय लिया गया। सत्र 2018–19 से विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश हेतु इच्छुक छात्र आन–लाइन प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित शुल्क रु0 50/– जमाकर विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपनी आधार सं0 सहित तमाम वांछित सूचनाएं दर्ज कराते हुए रजिस्टेशन की प्रक्रिया सम्पन्न करेगा। विश्वविद्यालय पोर्टल पर रजिस्टेशन करने वाले छात्र ही प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

इसके अतिरिक्त सम्बद्व स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में संस्थापना संबंधी सुविधाओं यथा–शिक्षण–कक्ष, फर्नीचर, प्रयोगशालाओं की स्थिति तथा स्थापना एवं उपलब्ध पाठयक्रमों की संरचना के दृष्टिगत प्राचार्य/विभागाध्यक्ष, शिक्षकों सहित सहायक स्टाफ/प्रयोगशाला सहायक/पुस्तकालय सहायक इत्यादि की उपलब्धतता एवं उनकी सेवा शर्तो पर निगरानी हेतु कार्ययोजना पर भी विस्तृत चर्चा की गई और तकनीकी प्रयोग के माध्यम से उक्त संबंध में एक निगरानी तंत्र के विकास का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में समस्त महाविद्यालयों की सी0डी0सी0 के माध्यम से विभिन्न अवस्थापना एवं शिक्षा संबंधी गुणवत्ता के आधार पर आंतरिक ग्रेडिंग कराये जाने का भी निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय परिसर अथवा महाविद्यालय परिसर में सी0डी0सी0 के माध्यम से नियमित कार्यशालायें आयोजित कर शिक्षकों एवं छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किए जा रहे तकनीकी तंत्र सहित गुणवत्ता प्रधान विषयों पर ट्रेनिंग दी जाये।

सी0डी0सी0 की बैठक मे यह भी निर्णय लिया गया कि परीक्षा विभाग के माध्यम से विश्वविद्यालय स्तर पर वर्ष 2012 के पश्चात की स्टाक की गई उपाधियों को संबंधित महाविद्यालयों मे भेजकर उनके महाविद्यालय स्तर से वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा महाविद्यालयों को नियमित रुप से अपने यहां दीक्षांत समारोह आयोजित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाये।

बैठक में सी0डी0सी0 से नियमित तालमेल हेतु परिसर स्तर पर भी एक ''कैम्पस डेवलपमेंट बोर्ड'' के गठन का निर्णय लिया गया।

बैठक में परिसर में संचालित स्ववित्तपोषित पाठयक्रमों में 5 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत शिक्षकों को सह–शोध निदेशक बनाए जाने के संबंध में भी विस्तृत विचार विमर्श किया गया। इस संबंध में सी0डी0सी0 ने अपनी सैद्वांतिक सहमति प्रदान करते हुए निर्णय लिया कि उक्त संदर्भ में विद्यापरिषद के माध्यम से सहमति प्राप्त करते हुए विभागों के स्तर से उन विश्वविद्यालयों से एम0ओ0यू0 किया जाये जहां संबंधित स्ववित्तपोषित पाठयक्रम नियमित शिक्षकों के साथ उपलब्ध हो।

इसी क्रम में सी0डी0सी0 ने इस बिन्दु पर भी विचार किया कि विगत लगभग 12 वर्षों से महाविद्यालय तथा परिसर के छात्रों के परीक्षा शुल्क मे वृद्वि नही हुई है, जबकि परीक्षा व्यय कई गुना बढ़ चुका है। निर्णय

लिया गया कि परीक्षा शुल्क की वृद्वि तथा नियमित अंतराल पर इसकी समीक्षा के लिए वित्त अधिकारी तथा सी0डी0सी0 सदस्यों की एक उपसमिति गठित की जाये जिसकी प्रतिवर्ष बैठक भी सुनिश्चित की जाये।

एक अन्य बिंदु पर चर्चा के क्रम में सी0डी0सी0 को सत्र 2017–18 की परीक्षाओं में सेन्टर स्वैपिंग व्यवस्था को लागू किए जाने की व्यवस्था से अवगत कराया गया जिसपर सहमति व्यक्त करते हुए सी0डी0सी0 ने सेन्टर स्वैपिंग की व्यवस्था में समस्त महाविद्यालयों को सम्मिलित करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक सत्र 2016–17, 2017–18 तथा 2018–19 में समस्त सम्बद्व सवित्तपोषित महाविद्यालयों में संचालित पाठयक्रमों/विषयों में उपलब्ध सीटो के सापेक्ष प्रवेश की स्थिति का आंकलन किया जाये तथा जिन पाठयक्रमो/विषयों में क्रमागत तीन वर्षो में सीटो से कम प्रवेश हो रहें हो उन पाठयक्रमों/विषयों में सत्र 2019–20 से विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्वता पर रोक लगा दी जाये। इसके स्थान पर महाविद्यालयो में रोजगारपरक पाठयक्रमों की मान्यता दिए जाने पर गंभीरता से विचार किया जाए।

बैठक में सम्बद्व स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के रिकार्ड को सत्यापित कर आधार पैन से जोडते हुए ततसंबंधी रिकार्ड को विश्वविद्यालय द्वारा आनलाइन किए जाने की प्रकिया के दौरान पाया गया कि 171 महाविद्यालयों ने उक्त प्रक्रिया में बार–बार अनुस्मारक प्रेषित किए जाने के बाद भी प्रतिभाग नही किया है। ऐसे महाविद्यालयों को यह मानते हुए कि इनके पास शिक्षक उपलब्ध नही हैं सत्र 2017–18 की परीक्षा में परीक्षा केन्द्र न बनाए जाने का निर्णय लिया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि आखिरी अवसर प्रदान किए जाने के बाद भी यदि यह महाविद्यालय अपने शिक्षकों का आनलाइन सत्यापन नही कराते हैं तो इन्हें सत्र 2018–19 के लिए प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित न किया जाये।

बैठक में कुलपति प्रो0 मनोज दीक्षित के अतिरिक्त महाविद्यालय विकास परिषद के निदेशक प्रो0 एस0एन0 शुक्ल, वित्त अधिकारी लाल प्रताप सिंह, कुलसचिव संजय कुमार, परीक्षा नियन्त्रक एस0एल0 पाल, संकायाध्यक्ष वाणिज्य संकाय प्रो0 आर0एन0 राय संकायाध्यक्ष विधि संकाय, डा0 त्रिभुवन शुक्ला संकायाध्यक्ष शिक्षा संकाय, कार्यपरिषद सदस्य श्री ज्ञानप्रकाश टेकचंदानी, विभागाध्यक्ष माइक्रोबायलोजी डा0 राजीव गौड़, प्राचार्य किसान महावि0 बहराइच डा0 एस0पी0 सिंह, प्राचार्य के0एन0आई0 डा0 ए0के0 श्रीवास्तव, प्राचार्य राजकीय महावि, फैजाबाद डा0 एन0के0 मिश्रा, प्राचार्य टी0एन0 कालेज टाण्डा डा0 रमेश पाठक, प्राचार्य आर0आर0पी0जी0 कालेज अमेठी डा0 लाल साहब सिंह, डा0 अब्दुल रशीद, डा0 प्रतिभा राय, डा0 जितेन्द्र सिंह, विश्वनाथ पी0जी0 कालेज कलान के निदेशक, श्री भोलानाथ सिंह, सरस्वती डेन्टल कालेज के निदेशक डा0 रजत माथुर, लखनऊ वि0वि0 के प्रो0 राजीव मनोहर तथा गोरखपुर वि0वि0 के प्रो0 अजय शुक्ल उपस्थित रहे।

नोट : फोटो मेल पर संलग्न है।

मीडिया प्रभारी